

4	TR not exceeding 3.5% of Item 1 above	5
5	LR and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	28
6	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1,2,3& 4 above	95
7	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	219
	<b>Total Authorized Strength</b>	<b>314</b>

[No. 11031/2/2013- AIS-II (A)]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Director (Services)

**Note (1) :—**Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Karnataka Cadre was 299.

**Note (2) :—**The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Karnataka Cadre by the following GSR Nos. and dates:

S. No.	G.S.R. No.	Date	S. No.	G.S.R. No.	Date
1.	377E	26.8.74	16.	841	14.11.87
2.	1349	21.12.74	17.	716	1.12.90
3.	228	22.2.75	18.	646	9.11.91
4.	292E	23.5.75	19.	193	9.5.92
5.	7E	1.1.76	20.	587	26.12.92
6.	25E	17.1.76	21.	94E	11.2.94
7.	821E	27.9.76	22.	442	3.9.94
8.	23E	30.1.80	23.	319E	31.3.95
9.	219E	21.4.80	24.	554	14.12.96
10.	46E	5.2.81	25.	739E	31.12.97
11.	925	17.10.81	26.	461E	25.6.1999
12.	332E	15.4.83	27.	381	29.10.2004
13.	34	21.1.84	28.	415E	05.06.2007
14.	1277E	27.12.86	29.	900E	30.12.2008
15.	89	14.2.87	30.	188E	24.03.2009

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

**सा.का.नि. 45(अ).**—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, कर्नाटक सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :—

“अनुसूची II भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘कर्नाटक’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

## "कर्नाटक"

सरकार के मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग	80,000/- रु. (नियत)
अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग	80,000/- रु. (नियत)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी और ई/ओ प्रधान सचिव, सरकार डीपीएआर(निर्वाचन)	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
निवासी आयुक्त, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
डीजी, एआर, एंड ट्रेग., एटीआई, मैसूर	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
सरकार के प्रधान सचिव	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य वित्त निगम	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-

आयुक्त, बृहत्त बेंगलोर महानगर पालिका	एचएजी वेतनमान- रु. 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% से अधिक नहीं) 79000/-
सरकार के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
वाणिज्य कर आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0

295 GI/14-3

आई जी, पंजीयक और स्टाम्प आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
उत्पाद-शुल्क आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, औद्योगिक विकास तथा निदेशक, उद्योग और वाणिज्य	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
राज्यपाल के सचिव	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
सहकारी समितियों के पंजीयक और निदेशक, सहकारी लेखापरीक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, खाद्य और नागरिक आपूर्ति	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, परिवहन और सड़क सुरक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, लोक शिक्षण, बेंगलोर	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, कृषि	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, वॉटरशेड विकास और ई/ओ सचिव, कृषि और बागवानी	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
श्रम, आयुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, सामाजिक कल्याण	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
सदस्य, केएटी	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, बेंगलोर विकास प्राधिकरण	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, ग्रामीण विकास	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
आयुक्त, बेंगलोर जल आपूर्ति और जलनिकास बोर्ड	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
पंजीयक लोकायुक्त	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0
प्रबंध निदेशक, बेंगलोर महानगर परिवहन निगम	पीबी-4 + जीपी 10000/-रु0

(ख) " अनुसूची II- भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'कर्नाटक' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

सचिव, केपीएससी  
निदेशक, कृषि विपणन  
निदेशक, पी.यू. शिक्षा  
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन

आयुक्त, धार्मिक और धर्मार्थ निधि

उप सचिव, डीपीएआर (सेवाएं) डीपीएआर एवं उप सचिव (बजट एवं संसाधन) वित्त मंत्रालय

निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग

निदेशक, आई.टी. एंड बी.टी

निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता अभिकरण तथा ई/ओ अपर/संयुक्त सचिव, सरकार आरडी एंड पीआर विभाग

उपायुक्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत

निदेशक, ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम और ईओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर विभाग

मिशन निदेशक, राज्य जल और स्वच्छता मिशन तथा ई/ओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार आरडीपीआर

निदेशक, बागवानी और निदेशक राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा ई/ओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार बागवानी विभाग

निदेशक, खान और भूविज्ञान तथा ई/ओ एएस/जेएस/डीएस, सरकार सी एंड आई विभाग

प्रबंध निदेशक, राजीव गांधी ग्रामीण हाऊसिंग निगम लिमिटेड

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य राजमार्ग समुन्नति कार्यक्रम

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य पेय-पदार्थ निगम लिमिटेड

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक राज्य लघु उद्योग विकास निगम

प्रबंध निदेशक, मैसूर मिनरल्स लिमिटेड

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास निगम

प्रबंध निदेशक, कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण निदेशालय

प्रबंध निदेशक, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड

प्रबंध निदेशक, कावेरी जल भाग्य निगम लिमिटेड

प्रबंध निदेशक, कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास निगम

प्रबंध निदेशक, बीईएससीओएम

प्रबंध निदेशक, एचईएससीओएम

प्रबंध निदेशक, जीईएससीओएम

प्रबंध निदेशक, सीएचईएससीओएम

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन

निदेशक, पर्यटन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड

आयुक्त, हबली-धारवाड़ नगर निगम

आयुक्त, मैसूर नगर निगम

[सं.11031/2/2013-अ.भा.से.-II(ख)]

मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)

**टिप्पणी** :—मुख्य नियम 20.03.2008 की सा.का.नि. 213(अ), द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा.का.नि. सं. 665(अ), दिनांक 19.09.2008, 123(अ), दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि. सं. 542(अ), दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं. 572(अ), दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72(अ), दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि. सं. 102(अ), दिनांक 25.2.2010, सा.का.नि. सं. 191(अ), दिनांक 12.03.2010, सा.का.नि. सं. 298(अ), दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि. सं. 397(अ), दिनांक 11.05.2010, सा.का.नि. सं. 404(अ), दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि. सं. 413(अ), दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि. सं. 432(अ), दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 434(अ), दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 451(अ), दिनांक 26.05.2010, सा.का.नि. सं. 689(अ), दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि. सं. 836(अ), दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि. सं. 899(अ), दिनांक 09.11.2010, सा.का.नि. सं. 954(अ), दिनांक 06.12.2010, सा.का.नि. सं. 920(अ), दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 94(अ), दिनांक 16.02.2012, सा.का.नि. सं. 115(अ), दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि. सं. 325(अ), दिनांक 26.04.2012, सा.का.नि. सं. 941(अ), दिनांक 28.12.2012, सा.का.नि. सं. 55(अ), दिनांक 31.01.2013, सा.का.नि. सं. 104(अ), दिनांक 18.02.2013, सा.का.नि. सं. 602(अ), दिनांक 06.09.2013 और सा.का.नि. सं. 604(अ), दिनांक 06.09.2013 द्वारा संशोधित किए गए।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2014

**G.S.R. 45(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2014.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007 :—

In "Schedule II-Part A" posts carrying pay above the senior scale of pay of the "Indian Administrative Service under the State Governments", in the Table, for the entry 'Karnataka' occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

#### "Karnataka

Chief Secretary to Govt.	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary and Development Commissioner	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Home Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Forests, Ecology and Environment Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Finance Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Urban Development Department	Rs.80000/-(fixed)
Additional Chief Secretary, Energy Department	Rs.80000/-(fixed)

Chief Electoral Officer & E/o Principal Secretary to Govt. DPAR(Elections)	HAG Scale — Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Principal Secretary to CM	HAG Scale — Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-
Resident Commissioner, Karnataka Bhavan, New Delhi	HAG Scale — Rs. 67000/- (annual increment not exceeding 3%) 79000/-